

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती विनीता रानी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	संयुक्त चिकित्सालय रामनगर, नैनीताल।	जिला चिकित्सालय देहरादून।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16155 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/देहरादून।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय देहरादून/संयुक्त चिकित्सालय रामनगर।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती कैथरीन बैनजामिन	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय बागेश्वर	उप जिला(बेस) चिकित्सालय हल्द्वानी।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16157

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय बागेश्वर/उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती छाया त्रिपाठी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़।	उप जिला(बेस) चिकित्सालय हल्द्वानी।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16159

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़/उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक-10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती विधि सक्सेना	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय पौड़ी।	जिला चिकित्सालय देहरादून।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16161 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय देहरादून/पौड़ी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

M

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक-10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सरोज नेगी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय पौड़ी।	राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16163

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय पौड़ी/राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

11

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सुनिता पंवार सेमवाल	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय पौड़ी।	जिला चिकित्सालय देहरादून।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16165 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय पौड़ी/देहरादून।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

16

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती पुष्प लता	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय नैनीताल।	राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16167 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/नैनीताल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय नैनीताल/राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रूचि रावत	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय रूद्रप्रयाग	राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16169 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रूद्रप्रयाग/पौड़ी।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय रूद्रप्रयाग/राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग/पौड़ी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती उर्मिला देवी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय बागेश्वर	उप जिला चिकि0 सितारगंज	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16171

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/ऊधसिंह नगर।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय बागेश्वर/उप जिला चिकि0 सितारगंज।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/ऊधसिंह नगर।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती जोयस संगीता	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय पौड़ी।	उप जिला चिकि0 ऋषिकेश।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16173 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय पौड़ी/उप जिला चिकि0 ऋषिकेश।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

AK

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-08 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मीना जोशी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	संयुक्त चिकि0 रामनगर, नैनीताल।	जिला चिकि0 अल्मोड़ा	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16175 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा/संयुक्त चिकि0 रामनगर।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सीमा शर्मा	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़।	जिला चिकि० रुद्रपुर।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16177 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/ऊधमसिंह नगर।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय नैनीताल/रुद्रपुर।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/ऊधमसिंह नगर।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती शान्ति सिंह	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० रामनगर, नैनीताल	जिला चिकि० रुद्रपुर	पारस्परिक स्थानान्तरण
2	श्रीमती नन्दी देवी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० रुद्रपुर	उप जिला चिकि० रामनगर, नैनीताल	

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16185 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंह नगर।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकि० रुद्रपुर/उप जिला चिकि० रामनगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंह नगर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सुनीता आर्या	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 रामनगर, नैनीताल	उप जिला चिकित्सालय, हल्द्वानी	पारस्परिक स्थानान्तरण
2	श्रीमती पुष्पा यादव	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकित्सालय, हल्द्वानी	उप जिला चिकि0 रामनगर, नैनीताल	

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16187 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकि0 रामनगर/हल्द्वानी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

AK

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती दया जोशी/काण्डपाल	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	महिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल	उप जिला चिकि0 रामनगर, नैनीताल	पारस्परिक स्थानान्तरण
2	श्रीमती रीना बर्ड	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 रामनगर, नैनीताल	महिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल	

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16183 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकि0 रामनगर/महिला चिकि0 हल्द्वानी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

--:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सोनिया रानी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० रुड़की	उप जिला चिकि० ऋषिकेश।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्हा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16179 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय रुड़की/ऋषिकेश।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

AK

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक-10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती लक्ष्मी रावत	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 गोपेश्वर, चमोली	उप जिला चिकि0 ऋषिकेश, देहरादून।	निजी अनुरोध

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 4- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16/80 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/चमोली।
- 3- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकि0 गोपेश्वर/उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सुनीता आर्या	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला(मैला) चिकित्सालय, हरिद्वार	जिला चिकित्सालय पौड़ी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16079 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय पौड़ी।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला(मैला) चिकित्सालय, हरिद्वार।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

AK

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक-10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अनीता गिरी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकित्सालय, ऋषिकेश	जिला चिकित्सालय गोपेश्वर, चमोली	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की रिथिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16081 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/चमोली।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय गोपेश्वर, चमोली।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय, ऋषिकेश।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती भारती रस्तोगी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय नैनीताल	जिला चिकित्सालय बागेश्वर	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16083 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय नैनीताल/बागेश्वर।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।



(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

—:आदेश:—

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रितु बोरा डेविड	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय नैनीताल	जिला चिकित्सालय बागेश्वर	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की रिथति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16085 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय नैनीताल/बागेश्वर।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती विद्यावती बिष्ट	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल	उप जिला चिकित्सालय रानीखेत	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16087 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी/रानीखेत।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती प्रेमलता बोरा/रावत	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा	उप जिला चिकित्सालय रानीखेत	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की रिथति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16089 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय रानीखेत।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 16 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती जानकी जनोटी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जी0बी0 पन्त चिकित्सालय नैनीताल	जिला चिकित्सालय बागेश्वर	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16091 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय बागेश्वर।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जी0बी0 पन्त चिकित्सालय नैनीताल।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

AK

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

—:आदेश:—

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मीना रानी पंचोली	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय देहरादून	जिला चिकित्सालय पौड़ी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16093 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय देहरादून/पौड़ी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती शारदा	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला(मैला) चिकित्सालय हरिद्वार।	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16095 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी/उप जिला चिकित्सालय हरिद्वार।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती उषा आर्या	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	क्षयरोगाश्रम भवाली, नैनीताल	उप जिला चिकित्सालय रानीखेत	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16097 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय रानीखेत/क्षयरोगाश्रम भवाली।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मानती सिंह	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	संयुक्त चिकित्सालय रामनगर, नैनीताल	जिला चिकित्सालय बागेश्वर	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16099 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय बागेश्वर।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त चिकित्सालय रामनगर, नैनीताल।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मीनाक्षी अधिकारी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकित्सालय रामनगर, नैनीताल	जिला चिकित्सालय बागेश्वर	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16101 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय बागेश्वर।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय रामनगर, नैनीताल।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

—:आदेश:—

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अंजली चौहान	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	सा0स्वा0के0 डोईवाला, देहरादून	जिला चिकित्सालय पौड़ी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16103 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय पौड़ी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 18 जून, 2025

—आदेश:—

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती संगीता नेगी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकित्सालय नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल	जिला चिकित्सालय पौड़ी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रमार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16105 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/पौड़ी।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय पौड़ी।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/पौड़ी।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती महामाया गौतमी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकित्सालय रामनगर, नैनीताल	जिला चिकित्सालय चम्पावत	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16109 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय चम्पावत।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय रामनगर, नैनीताल।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती देवकी आर्या	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय नैनीताल	जिला चिकित्सालय चम्पावत	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16111 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
3. प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय नैनीताल/चम्पावत।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती पूनम आर्या	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय देहरादून	जिला चिकित्सालय पौड़ी	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16/13 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय देहरादून/पौड़ी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती संगीता दास	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय रुद्रपुर	जिला चिकित्सालय चम्पावत	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16115 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर/चम्पावत।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय रुद्रपुर/चम्पावत।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/चम्पावत।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 11 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती बबीता गिरी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला(मैला) चिकित्सालय हरिद्वार	जिला चिकित्सालय गोपेश्वर	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16117 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय गोपेश्वर/उप जिला चिकित्सालय हरिद्वार।
4. मुख्य/वरिष्ठ कौषाधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती नीतू भट्ट	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय रुद्रपुर।	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16119 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर/पिथौरागढ़।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय रुद्रपुर/पिथौरागढ़।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/पिथौरागढ़।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 6 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मधुलिका	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय हरिद्वार।	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16121 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय हरिद्वार/उत्तरकाशी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

16

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती शान्ति आर्या	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय नैनीताल।	जिला चिकित्सालय चम्पावत।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16123 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय नैनीताल/चम्पावत।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

16

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती शालिनी त्यागी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय हरिद्वार।	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16125 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय हरिद्वार/उत्तरकाशी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती नीरज माग्रेट	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल।	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16127 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़/उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

11

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सिल्विया	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	राज्य मानसिक चिकित्सालय सेलाकुई।	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16129 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी/राज्य मानसिक चिकि0 सेलाकुई।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सुमनलता भारद्वाज	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय हरिद्वार	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16131 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय हरिद्वार/उत्तरकाशी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती कुसुम खण्डूडी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय देहरादून।	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16133 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय देहरादून/उत्तरकाशी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 18 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रोशनी गुसाई	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय पौड़ी।	सा0स्वा0के0 डोईवाला, देहरादून।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16135 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय पौड़ी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

M

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सुजाना सिंह	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	सा0स्वा0के0 बैजनाथ, बागेश्वर।	जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16137 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा/बागेश्वर।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/बागेश्वर।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

16

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती गीता देवी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय बागेश्वर।	उप जिला चिकित्सालय रामनगर	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16139 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय बागेश्वर/उप जिला चिकित्सालय, रामनगर।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती बबीता	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय पौड़ी।	उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16141 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय पौड़ी/उप जिला चिकित्सालय, ऋषिकेश।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

16

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती पुष्पा थापा	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग।	राज्य मानसिक स्वास्थ्य सेलाकुई।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16143 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/रुद्रप्रयाग।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग/राज्य मानसिक स्वास्थ्य सेलाकुई।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/रुद्रप्रयाग।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सीमा प्रसाद	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़।	जिला चिकित्सालय रुद्रपुर।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16145 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/ऊधमसिंह नगर।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़/रुद्रपुर।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/ऊधमसिंह नगर।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मोनिका ठाकुर	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़।	उप जिला चिकित्सालय रामनगर।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16147 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़/उप जिला चिकित्सालय रामनगर।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

N

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अल्पना हनी	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़।	उप जिला चिकित्सालय रामनगर।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16149 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़/उप जिला चिकित्सालय रामनगर।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/xxxvi(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/xxx (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/xxx (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० स०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सुनीता ऑर्थर	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी	उप जिला चिकि० ऋषिकेश।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16151 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी/उप जिला चिकि० ऋषिकेश।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

M.

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/

देहरादून दिनांक- 10 जून, 2025

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017, दिनांक-06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक-17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक-15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025-26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अंजली पीटर	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।	उप जिला(मैला) चिकित्सालय हरिद्वार।	जनहित

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- 3- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- 5- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)

प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या-3प/पैरा/उप0/21/2025/ 16153 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर/हरिद्वार।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

AK

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)